बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
सकारण आदेश

समादेश याचिका सं0–4469/2015 डा0 विनय कृष्ण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–13.08.2018 एवं अपील वाद सं0–1307/2018 में दिनांक–26.11.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सकारण आदेशः–

डा0 विनय कृष्ण सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनपुर बैकुण्ठ, वारिसनगर, समस्तीपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के कारणो का उल्लेख नहीं रहने के कारण आदेश सं0–1036(9) दिनांक–18.11.2014 को खारिज करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सं0–4469/2015 दायर किया गया, जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–13.08.2018 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

> 5. In view of the limited nature of claim raised by learned senior counsel for the petitioner, this Court would observe that interest of justice would be served if the Appellate Authority consider the elaborate and detailed appeal of the petitioner by a reasoned and speaking order in accordance with law. Non-assigning of reason and non-consideration of the claim put forward by the petitioner renders statutory remedy of appeal to be an empty formality. Let petitioner's appeal be disposed off by a reasoned and speaking order expeditiously.
>
> 6. Writ petition is disposed off with the aforesaid direction.

2. उपर्युक्त पारित आदेश के विरूद्ध डा0 सिह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील वाद सं0–1307/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–26.11 2019 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

> Learned counsel appearing for appellant submits that learned Single Judge has not even whispered a single word about the correctness of order passed by Disciplinary Authority, but we are not at all convinced with the aforesaid submission, because the perusal of impugned judgment goes to show that the learned Single Judge remitted the appeal of the appellant to Appellate Authority for passing a fresh order, as the order which was challenged before the learned Single Judge was not speaking order rather the said order was passed in very cryptic manner. The appellant has opportunity to challenge the correctness of order of Disciplinary Authority before Appellate Authority, and, it is not proper for this court to see the correctness of order of disciplinary authority for present. Accordingly, this appeal stands dismissed on admission stage itself.

3. अपील वाद सं०–1307/2018 में दिनांक–26.11.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में डा0 सिंह द्वारा दिनांक–03.02.2020 एव 25.06.2025 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश के अनुपालन मे विभागीय पत्रांक–1431(9B) दिनांक–05.10.2026 द्वारा डा0 सिंह को विभागीय सचिव महोदय के समक्ष दिनांक–07.10.2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से डा0 सिंह द्वारा दिनांक–07.10.2026 को अपना पक्ष रखा गया। प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया

1609(9B) 28.10.26

28/10/26

गया कि डा0 सिंह सडक दूर्घटना में गभीर रूप से जख्मी हो गए। वे बिहार राज्य के बाहर के सस्थानो में ईलाजरत थे। डा0 सिह द्वारा दिनाक–06.10.1998 एवं 28.05.1999 को अनुपस्थित के आरोप में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इसके बावजूद भी वर्ष 2004 में अनुपस्थिति के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित कर दिया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान वे भागलपुर एवं सहरसा में कार्यरत थे। विभागीय कार्यवाही से संबंधित पत्र पूर्व के पदस्थापित स्थान पर प्रेषित होने के कारण उन्हें प्राप्त नहीं हुआ।

4. डा0 विनय कृष्ण सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनपुर बैकुण्ठ, वारिसनगर, समस्तीपुर के विरूद्ध दिनांक–24.09.1996 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–1549(9) दिनांक–11.09.2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है। विभागीय पत्रांक–1257(9) दिनाक–19.09.2005 एवं विभागीय पत्रांक–772(9) दिनांक–12.07.2006 द्वारा प्रेस–विज्ञप्ति के माध्यम से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी। विहित प्रक्रिया एवं प्रावधानों का पालन करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–440(9) दिनाक–17.06.2014 द्वारा डा0 सिंह के विरूद्ध दिनांक–23.09 1996 से 07.07.1999 तक अनुपस्थित रहने के आरोप में ''निन्दन'' एवं ''संचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की'' शास्ति अधिरोपित की गयी। डा0 सिंह द्वारा दिनांक–15.07.2014 को समर्पित अपील अभ्यावेदन में नया तथ्य नहीं होने के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं0–1036(9) दिनांक–18.11.2014 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है।

5. सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि अपील वाद सं0–1307/2018 में दिनाक–26.11.2019 को पारित आदेश के आलोक में डा0 सिंह द्वारा दिनांक–03.02.2020 एवं पुनः दिनांक–25.06.2025 को अभ्यावेदन समर्पित कर निर्णय संसूचित करने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा आवेदन में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि डॉ० सिंह को विभागीय अधिसूचना स0–274(2) दिनांक–05.04.1994 द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनपुर बैकुण्ठ, वारिसनगर, समस्तीपुर में पदस्थापित किया गया। उनके द्वारा दिनांक–26.04.1994 को विरमित होने के उपरांत दिनांक– 27.04.1994 को पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण किया गया। वे दिनांक–21.06.1996 को सडक दुर्घटना में जख्मी हो गये। उनके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में दिनांक–06 10.1998 एवं 28.05.1999 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनके द्वारा स्वस्थ होने के उपरांत दिनाक–08.07.1999 को कर्त्तव्य पर योगदान समर्पित किया गया। उनके द्वारा दिनांक–06.10.1998 को एवं दिनाक–28.05.1999 को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया था, इसके बावजूद उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर दी गयी। वे दिनांक–08.07.1999 से नियमित रूप से कर्त्तव्य पर उपस्थित रहे है। इस कारण से उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड को विलोपित करने का अनुरोध किया गया।

6. सक्षम प्राधिकार द्वारा डा0 सिंह के दिनांक–03.02.2020 एवं 25.06.2025 को समर्पित अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि डा0 सिह द्वारा अपना ईलाज दरभंगा, पटना एवं नई दिल्ली में कराया गया, परन्तु वे दिनांक–23 09.1996 से 07.07.1999 अवधि में वे चिकित्सक की सलाह पर भागलपुर में विश्राम करते रहें। इस अवधि में उनके द्वारा अपनी अस्वस्थता के संबंध में विभाग को सूचना नही दिया गया। वे अपना ईलाज कराने के नाम पर अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहें एवं डा0 सिह को जब ज्ञात हुआ कि इनका स्थानांतरण भागलपुर जिला में होने वाला है तब इन्होने समस्तीपुर जिलान्तर्गत अपने पदस्थापन स्थल पर दिनाक–08 07.1999 को योगदान कर लिया गया। इसी बीच विभागीय अधिसूचना सं0–432(2) दिनांक–17.08.1999 द्वारा इनका स्थानांतरण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनगंज, भागलपुर में हो गया एवं इन्होने दिनांक–27.08.1999 को स्थानांतरित स्थान पर योगदान कर लिया। उनके द्वारा आलोच्य अवधि में चिकित्सीय अवकाश की

1609(9B) 28.10.25

28/10/2025

स्वीकृति हेतु भी कोई आवेदन नहीं दिया गया। उनके कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने से चिकित्सीय कार्य प्रभावित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। फलतः उनके विरूद्ध नियमतः विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। डा0 सिंह द्वारा दिनांक–23.09.1996 से 07.07.1999 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने के संबंध में कोई ठोस तर्क या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उनके अनुपस्थिति अवधि को कार्य नही तो वेतन नहीं, परन्तु पेंशन प्रयोजन हेतु सेवा अवधि की गणना करने का निर्णय संसूचित किया जाता है। डा0 सिंह द्वारा कोई ऐसा नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो सुविचारित प्रदत्त शास्ति को क्षान्त करने हेतु विचारनीय हो। अतः आवेदन को अस्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है।

7. अतः डा0 सिंह द्वारा दिनांक–03.02.2020 एवं 25.06.2025 को समर्पित अभ्यावेदन को नये तथ्यो के अभाव में अस्वीकृत किया जाता है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांक–9/कोर्ट–10–10/2015(स्वा0) ...../ **पटना, दिनांकः–**.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0एवंहक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/कोर्ट–10–10/2015(स्वा0) 1609(9B)/ **पटना, दिनांकः–** 28.10.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा/सिविल सर्जन, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 विनय कृष्ण सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनपुर बैकुण्ठ, वारिसनगर, समस्तीपुर पत्राचार का पता–पिता–श्री राम जी सिह, विवेकानंद रोड, आदमपुर, जगदीशपुर, भागलपुर–812001 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/उप सचिव, (स्थापना) स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एव 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/10/26

सरकार के अवर सचिव।